न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –पिंकी आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–03 / 33 / 2024 जीसीएमएस संख्या:–2024 / 135 दर्ज तिथि:–12.06.2024

1. भरतराम पुत्र प्रभात उम्र 67 साल जाति मीना निवासी क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
,.........प्रार्थीगण

बनाम

1. फैलीराम पुत्र रामकिशन
2. पप्पू पुत्र पांचू
3. सन्तोष पुत्र पांचू

समस्त जातियान मीना निवासीयान क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
.... असल अप्रार्थीगण

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ जिला अलवर राज0
.... तकमीली अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्तागण
प्रार्थी अधिवक्ता:– श्री महेश शर्मा।
अप्रार्थी:– एम.आर. मीना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

सत्यमेव जयते

निर्णय तिथि:–25.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा नम्बर 325 / 0.38 है0 वाकै ग्राम क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 19.05.2023 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। पुष्टि में दिनांक 19.05.2023 रिपोर्ट पैमाइश संलग्न है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 19.05.2023 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। शपथ–पत्र पेश है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बाद विधिवत तामील असालतन–वकालतन अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हाजा होकर जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.05.2023 को अप्रार्थी की अनुपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया गया है। यदि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 325 का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ सही पैमाईश से निकलता है तो प्रार्थी को कब्जा वापसी का दावा समक्ष न्यायालय में दायर करना चाहिए था। अन्त में अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र कतई झूठे मनगढत काल्पनिक तथ्यों के आधार पर पेश होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट / 2025 / 225 दिनांक 03.06.2025 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार थानागाजी द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 1285 दिनांक 19.06.2025 को प्रेषित किया।

3. विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौरान–ए–बहस सीमाज्ञान अप्रार्थीगण की गैरमौजूदगी में हुआ है। साथ ही यदि सीमाज्ञान में प्रार्थी की आराजी का हिस्सा अप्रार्थी की आराजी में आता है तो कब्जा वापसी का दावा दायर करना चाहिए। अन्त में प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश करने की स्थिति में खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. **मैंने** बहस पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

***111. Decision of disputes as to boundaries.** — (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

***128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111 :*

***Provided** that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी 2074–77 वाके ग्राम क्यारा तहसील थानागाजी में राजस्व इन्द्राज एवं सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम क्यारा के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 19.05.2023 एवं तहसीलदार थानागाजी से प्राप्त रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०

द्वारा मौके पर आराजी खसरा संख्या 185 गै0 मु0 चाह एवं खसरा संख्या 333 गै0 मु0 चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानकर जरीब चलाकर आराजी खसरा संख्या 325 का उत्तरी–पूर्वी कोना तथा दक्षिणी–पूर्वी कोना कायम किया गया। इस प्रकार आराजी खसरा संख्या 325 के सभी कोने जरीब चलाकर कायम किया गया। आराजी खसरा संख्या 325 के उत्तरी–पूर्वी दिशा में डामरीकरण सड़क निर्मित है तथा आराजी खसरा संख्या 325 की पूर्वी दिशा में दूसरे का कब्जा है। सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि :

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 325 रकबा 0.38 है0 वाकै ग्राम क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। साथ ही तहसीलदार थानागाजी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त पत्थरगढी आदेश की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें तथा प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए अन्य दीगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 25.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(पिंकी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर) राज०